

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन)
अधिनियम, 1982
(उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, 1982)

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1982]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1982 के रूप में दिनांक 20 सितम्बर, 1982 को उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 को निरसित करने के लिए —

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

2—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 निरसित हो जायेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1971 का निरसन